सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2017 (निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2017/00027

अनवान

1. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जरिये ग्राम सेवक पदेन सचिव बगदीलाल रेगर पुत्र श्री भंवरलाल रेगर, हाल निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

— प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती कौशल्या भोई पत्नी हरिश कुमार भोई, निवासी लोहारवाड़ा, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

— विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री आशीष दोवड़िया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री मयंक दोशी, अधिवक्ता विपक्षी / रेस्पोडेन्ट।

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, दिनांक 02.04.2013

* निर्णय *

दिनांक— 11-07-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत की है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत ऋषभदेव मे विपक्षी ने बापी पट्टा हेतु दिनांक 20.02.2013 को लोहारवाड़ा मे स्थित अपने मकान के बापी पट्टा हेतु आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर मिसल कायम कर आपत्तियां आदि जारी कर विपक्षी को बापी पट्टा दिनांक 02.04.2013 को पुराना गृह विनियमितिकरण नियम 157 (1)/ बापी पट्टा राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम के तहत जारी किया गया। बापी पट्टा जारी करते से किसी ने भी आपत्ति व्यक्त नहीं की। पट्टा जारी हो जाने के उपरान्त पड़ोसी द्वारा पट्टे मे वर्णित नाप का लेकर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिस पर विपक्षी के पड़ोसी श्री चम्पतराय भंवरा द्वारा की गई आपत्ति को वाजिब मानते हुए प्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा कोरम मे दिनांक 20.11.2015 के प्रस्ताव संख्या 2 के निर्णय की पालना मे उक्त विपक्षी को जारी पट्टे की साईज का संशोधन करने का अनुमोदन किया। कोरम के निर्णय की पालना मे उसी पट्टे पर लम्बाई चौड़ाई बाबत् संशोधन कर साईज मे 570वर्गफीट के बजाय 452.62वर्गफीट कर विपक्षी को पट्टा दिया गया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव को नियमानुसार विपक्षी को जारी पट्टे मे संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः उक्त पट्टे को न्यायहित मे निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया हैं। विपक्षी को जारी

किये गये पट्टे के संबंध मे पड़ोसी द्वारा माननीय लोकायुक्त मे शिकायत दर्ज करायी गई, जिसकी जांच भी की गई, जिसमे मौका पर्चा रिपोर्ट पर किर्तेश जैन वार्ड पंच के स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये, जबकि वह वार्डपंच नहीं है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी को जारी पट्टा संख्या 02.04.2013 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री मयंक दोशी ने वकालातपत्र पेश कर जवाब पेश किया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत ऋषभदेव ने दिनांक 02.04.2013 को आवासीय भूमि का बापी पट्टा विपक्षी के हक मे जारी किया गया है। उक्त पट्टे मे दिशा एवं साईज गलत अंकित हो गये है। इसलिये उक्त बाबत् लोकायुक्त को शिकायत की गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त पट्टे को निरस्त किया जाता है तो हमे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं। प्रकरण मे ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मंगवायी जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ऋषभदेव के निगरानी प्रार्थना पत्र, विपक्षी के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ऋषभदेव की पत्रावली का अवलोकन किया व वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा विपक्षी के पक्ष मे जारी किया गया बापी पट्टा संख्या 13248 दिनांक 02.04.2013 को निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्ता के निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत कोटड़ा द्वारा दिनांक 02.04.2013 को विपक्षी श्रीमती कोशल्या भोई पत्नि हरिश कुमार भोई के पक्ष मे जारी किया जाना पाया गया हैं। उक्त पट्टे मे ग्राम पंचायत द्वारा साईज एवं दिशा का अंकन गलत हो जाना न्यायालय को अवगत कराया हैं। विपक्षी द्वारा भी उक्त पट्टे को निरस्त करने मे कोई आपत्ति व्यक्त न कर पट्टा निरस्तीकरण हेतु सहमति व्यक्त की हैं।

अतः निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के पक्ष मे जारी बापी पट्टा संख्या 13248 दिनांक 02.04.2013 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज 11.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर